न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 96 / 2024 दायर दिनांक–21.06.2024

[illegible]मप्रकाश पुत्र नाराणाराम जाति मेघवाल निवासी नया परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)

............वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र सोहनलाल
2. राजेन्द्र पुत्र सोहनलाल
3. रामचन्द्र पुत्र सोहनलाल
4. बाबूलाल पुत्र सोहनलाल (फौत)

   4/1 विजेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)
5. सावित्री पुत्री सोहनलाल
6. मंजू पुत्री सोहनलाल
7. मन्नी देवी पुत्री सोहनलाल समस्त जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)
8. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

.........प्रतिवादीगण

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री महेश कुमार वर्मा
वकील प्रतिवादी :– सुमेर सैनी

दावा बाबत घोषणा
व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 18.12..2024

वाद वादी इस आशय का पेश किया गया कि जमीन खसरा नम्बर 21, 22, 23, 24 रकबा क्रमशः 0.02, 1.46, 3.30, 0.87 कुल किता 4 कुल रकबा 5.65 है0 ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में स्थित है जिसका वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, काश्त करता है उपयोग उपभोग करता है, लगान अदा करता है तथा अपने बाल बच्चो व मवेशियों सहित उक्त जमीन पर आबाद है जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। [illegible] नाराणाराम के हक हकूक कब्जे काश्त, स्वामित्व, लगान की तथा [illegible] नाराणाराम अपने हक हकूक, कब्जे काश्त व राजस्व रिकॉर्ड की जमीन को अपने जीवन[illegible] काश्त करता रहा है व काबिज रहा है। स्व. नाराणाराम के कोई भी पुत्र संतान [illegible] स्व. नाराणाराम के केवल एक [illegible] पुत्री संतान रामा देवी पैदा हुई। स्व. नाराणाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी जायन्दा पु[illegible]वी के पुत्र वादी ओमप्रकाश को सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गाकर गुड बताशे बांटकर दत्तक पुत्र के रूप में सामाजिक रूप से समस्त रिति रिवाजो को पूरा करते हुये आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:19:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

से करीब 59 वर्ष पूर्व सन् 1965 को वादी ओमप्रकाश को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। उक्त स्व. नाराणाराम ने वादी के बाल्यकाल में ही गोद का पुत्र अपनाकर अपनी दत्तक पुत्र संतान के रूप में समस्त सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। चुंकि स्व. नाराणाराम ने अपनी एक मात्र जायन्दा पुत्री रामा देवी के पुत्र अपने दोहिते वादी ओमप्रकाश को गोद का पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया तथा वादी ओमप्रकाश के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा तथा शादी इत्यादि की अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह किया तथा दत्तक पुत्र वादी ओमप्रकाश ने भी स्व. नाराणाराम के जीवनकाल में एक पुत्र के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया स्व. नाराणाराम अनपढ व्यक्ति था जिसे कानूनी प्रक्रिया की कोई जानकारी नही होने के कारण रजिस्टर्ड गोदनामा तस्दीक नही करवाया जा सका परन्तु वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, पहचान पत्र, ई–श्रम कार्ड, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि में वादी के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र नाराणाराम दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टौंकछिलरी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 164 पुराना 149 के अंन्तर्गत भूमि खसरा नं0 21, 22, 23, 24 रकबा क्रमशः 0.0200, 1.4600, 3.3000, 0.8700 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.6500 है0 भूमि में ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल दर्ज है उक्त खाता संख्या के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम ओमप्रकाश पुत्र नाराणाराम दर्ज होना चाहिए जिसकी दुरूस्ती हेतु यह दावां पेश करना आवश्यक हुआ है। स्व. नाराणाराम की मृत्यु होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्व. नाराणाराम की मृत्यु का नामान्तकरण भरते समय स्व. नाराणाराम की एक मात्र जायन्दा पुत्री रामा देवी के समस्त वारिसान वादी सहित सभी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया क्योंकि नामान्तकरण भरते समय वादी ओमप्रकाश के पास रजिस्टर्ड गोदनामा नही होने के कारणं राजस्व कर्मचारियों ने स्व. नाराणाराम की जायन्दा पुत्री रामा देवी के समस्त वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जबकि इस तरह का कार्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से किया गया था स्व. नाराणाराम की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की सम्पति के 1/2 हिस्से का वारिस वादी तथा शेष 1/2 हिस्से के वारिस रामा देवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 हुये जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था चुंकि वर्तमान में रामा देवी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को तथा शेष 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम राजस्व रिकॉर्ड की घोषणा की जावें इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम सोहनलाल के स्थान पर नाराणाराम दर्ज किया जावें बाबत पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी न0 1 लगायत 7 की ओर से जरिये वकील इकबालिया जबाब दावा पेश किया गया प्रतिवादी नं0 8 की ओर से राज. पैरोकार उपस्थित हुये। चुंकि प्रतिवादीगण की ओर [illegible] जबाब दावा पेश किया गया है इस कारण से तनकीयात कायम [illegible] शहा[illegible]दी में वादी ओमप्रकाश के बयान लेखबद्ध किये जाकर शहादत [illegible] की गई तथा पत्रा[illegible] अन्तिम हेतु नियत की गई। वकील वादी बहस अन्तिम सुनी गई [illegible] पर न्यायालय द्वारा मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया [illegible] पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:19:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

::आदेश::

वाद वादी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 21, 22, 23, 24 रकबा क्रमशः 0.02, 1.46, 3.30, 0.87 कुल किता 4 कुल रकबा 5.65 है0 ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टौंकछिलरी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को तथा 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को घोषित किया जाता है तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे एवं वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोहनलाल के स्थान पर नाराणाराम दर्ज किया जावें तदननुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:19:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:–96 / 2024

(ओमप्रकाश बनाम जगदीश आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.12.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि खसरा नम्बर 21, 22, 23, 24 रकबा क्रमशः 0.02, 1.46, 3.30, 0.87 कुल किता 4 कुल रकबा 5.65 है0 ग्राम भरवाडी पटवार हल्का टौंकछिलरी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को तथा 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.12..2024 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:19:58 IST
Reason: SelfAttested